


**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी**(पीठसीन अधिकारी कैम्प कॉटे) कैम्प :- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र वायव्यप्रशासन गांवों के संग  
अभियान-2021

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता डुरुस्ती" के आवेदन पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का .....११११११....., भू अ०नि० वृत्त ११११..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा ११११.....११११११ तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् २०२०..... के खाता संख्या ६६..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है :-

प्र०सं० :- ६७८/२०२१

क्र. सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>मिथी 66</u>	<u>६६</u>	<u>अमनालिय पुत्र दीव</u>	<u>अमनालिय पुत्र दीव</u>

क्रमांक: सरिश्ता/5-11(678)2021 दिनांक :- ११.११.२०२१.....  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री अमनालिय पुत्र दीव..... को सूचनार्थ।

अ  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी

अ  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी